राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 87 / 2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021 / 138
दायर दिनांक– 02.09.2021
निर्णय दिनांक– 05.05.2023

1. गंगाराम पुत्र स्व0 नाथूराम जाति जाट नि0 राजगंज, अजमेर
2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि नाथूराम जाति जाट नि0 ग्राम भदूण तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. परमाराम पुत्र जमनालाल जाति खटीक नि0 ग्राम रूपनगढ़
2. श्रीमती रूपल अग्रवाल पत्नि लोकेश जाति अग्रवाल नि0 जयपुर
3. श्रीमती गीता पुत्री लाला जाति रेगर निवासी ग्राम नरवर जिला अजमेर
4. नाथू पुत्र भैरू जाति रेगर नि0 ग्राम मगरा जिला अजमेर
5. प्रकाशचन्द पुत्र टेनामल जाति रेगर नि0 किशनगढ़
6. विश्राम पुत्र भैरू जाति रेगर नि0 मगरा जिला अजमेर
7. श्रीमती आकृति पाटनी पुत्री अमित कुमार जाति जैन नि0 बम्बई(महाराष्ट्र)
8. तरूण जैन पुत्र सुरेशचन्द जाति महाजन नि0 ग्राम रूपनगढ़
9. मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द जैन जाति महाजन नि0 ग्राम रूपनगढ़
10. श्रीमती अन्तिम जैन पत्नि विकाश जैन जाति महाजन नि0 जयपुर
11. श्रीमती अलका जैन पत्नि अशोक जैन जाति जैन नि0 किशनगढ़
12. वन विभाग राजस्थान जरिये जिला वन अधिकारी, अजमेर
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री ध्रुवसिंह चौधरी, अधि0 प्रार्थीगण
2 श्री अरविन्द दाधिच अधि0 अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ख0न0 2073 रकबा 0.5339 है0, ख0न0 2074 रकबा 0.8899 है0 व ख0न0 2075 रकबा 0.2507 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.6745 है0 भूमि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त खसरा नम्बर 2073, 2074 व 2075 की भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी भूमि ख0न0 2051, पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि ख0न0 2057, अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की खातेदारी भूमि ख0न0 2071, दक्षिणी दिशा में अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी भूमि ख0न0 2072 व 2083, अप्रार्थी संख्या 8 से 9 की खातेदारी ख0न0 2077, अप्रार्थी संख्या 10 से 11 की खातेदारी भूमि ख0न0 2076 एवं पूर्व दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 12 वन विभाग राजस्थान सरकार की भूमि ख0न0 1991 स्थित है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान की भूमि मौके पर पूर्ण नहीं है, अड़ौस–पड़ौस के खातेदार के मध्य सीमा को लेकर विवाद रहता है। वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा हल्का पटवारी से करवाये। प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.07.2021 को करवाया गया जिसमें मौके पर भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार पूर्ण नहीं हुई। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नाप चौक कर पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested

05.5.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 7, 8, 9 व 13 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की तामिली हेतु प्रकाशन जरिये राष्ट्रीय अखबार राष्ट्रदूत से करवायी गयी परन्तु सूचना प्रकाशित उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2, 10 व 11 की तामिली जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवायी गयी, परन्तु बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 4, 8 व 9 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 6 के अविवाहित फौत होने की सूचना दी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 6 को डिलीट करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 का जवाब आम मुख्तियार द्वारा पेश किया गया व अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से जवाब प्राप्त हुआ, जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

हमने वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार तहसीलदार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की संयुक्त कब्जे काश्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थीगण की मौके पर भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार पूर्ण होनी चाहिए। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 2073, 2074 व 2075 कुल रकबा 1.6745 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूप्ये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

05.5.23
सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested